

२९/५/१७ पत्रावली देय। वकील श्रीमती सुप्रीम शर्मा  
संख्या-६ का नोटिस कागद वामिल प्राप्त।  
वामिल मिल्ल है। कापडा वौच की तलकी  
बाबर किर्नाक १८/६/१७ को देय है।

३१/६/१७ काप्य पद पत्रावली प्राप्त देय होने पर देय  
में ली गयी। श्रीमती ने प्राठ-पत्र देय का  
निवेदन किया कि पदकाप्य का वामीन  
होगा है। इसलिए प्राथमिक देय को  
शर्माकी नही पाएगा है। प्राठपत्र लीजा  
किया जाकर अदिश नोटिफिके में खासिप  
किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार वामिल  
पत्रा देय नम्बर के का देय है।

उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़